राष्ट्र हित में बिजली बचायें
SAVE ELECTRICITY IN THE INTEREST OF THE NATION

दूरभाष / Ph.: 0121-2665734
फैक्स / Fax: 0121-2666062

कार्यालय :
Office of the :
प्रबन्ध निदेशक
MANAGING DIRECTOR
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, MEERUT-250 001

कार्यालय ज्ञाप

पत्रांकः 6304 /पविविनिलि–एमटी/186(एस)/07–08 **दिनांकः 13.07.2012**

क्रयादेश सं0 5293/पविविनिलि–एमटी/186(एस)/07–08 दिनांक 19.07.2008 के अन्तर्गत मै0 आरटीएस, जयपर द्वारा 33/11 केवी उपकेन्द्र कैलाशपुर, जनपद–सहारनपुर को एक नग 10 एम.वी.ए., 33/11 केवी (यूनिक सं0 0186SU120004) की आपूर्ति की गई। उक्त परिवर्तक दिनाँक 15.05.2012 को सामान्य परिस्थिति में कार्यशील रहते, क्षतिग्रस्त हो गया एवं भण्डार द्वारा मरम्मत हेतु प्रेषित कर दिया गया। मरम्मतकर्ता फर्म के परिसर पर निरीक्षण हेतु भण्डार इकाई द्वारा कार्यालय के ज्ञाप सं0 985/ प0वि0वि0नि0लि0/मेरठ/भण्डार दिनाँक 22.05.2012 जाँच दल का गठन किया गया। जाँच टीम ने प्रारम्भिक जाँच में उक्त परिवर्तक को कम क्षमता का पाया तथा अपनी रिपोर्ट पत्रांकः 354/वि0कार्यशाला मं0/मेरठ दिनाँक 07.06.2012 द्वारा प्रस्तुत की। ऐसी परिस्थितिया में उक्त परिवर्तक की विस्तृत जाँच इस परिवर्तक की मूल निर्माता फर्म मै0 आरटीएस, जयपुर के समक्ष करने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार फर्म को जाँच में प्रतिभाग करने हेतु निम्नलिखित पत्रों के फैक्स, ई–मेल, स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रतिभाग करने हेतु सूचित किया गयाः–

1. पत्रांक : 5068 दिनाँक 07.06.2012
2. पत्रांक : 5338 दिनाँक 14.06.2012
3. पत्रांक : 5354 दिनाँक 16.06.2012

पर्याप्त सूचना के उपरान्त भी फर्म के कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नही हुआ। इस कार्यालय के पत्रांक 572/पविविनिलि–एमटी/186(एस)/07–08 दिनांक 20.06.2012 द्वारा फर्म को अन्तिम अवसर देते हुए दिनाँक 21.06.2012 को इस कार्य हेतु गठित टीम द्वारा परिवर्तक की विस्तृत संयुक्त जॉच की गई। दिनांक 21.06.2012 को भी फर्म का कोई प्रतिधि संयुक्त जॉच के लिए उपस्थित नहीं हुआ। गठित जाँच टीम द्वारा निम्न अनियमितता के बारे में अवगत कराया गयाः–

1. उपरोक्त परिवर्तक जी0टी0पी0 के अनुरूप नही बनाया गया है तथा काफी कम मात्रा में सामग्री का प्रयोग किया गया है तथा परिवर्तक का आन्तरिक फ्रेम छोटा बनाया गया है ।

2. उपरोक्त परिवर्तक अनुमान के अनुसार लगभग 20 प्रतिशत अन्डररेटिंग क्षमता का प्रतीत होता है

3. उपरोक्त परिवर्तक के डिजायन में रिपेयर के समय ज्यादा परिवर्तन सम्भव नही है।

फर्म को इस कार्यालय के पत्रांक 5590/पविविनिलि–एमटी/186(एस)/07–08 दिनांक 23.06.2012 द्वारा कारण बताओ नाटिस दिया गया इसके प्रत्युत्तर में फर्म ने अपने पत्रांक आरटीएस/ 2012–13/471 दिनांक 05.07.2012 द्वारा मुख्यतः अवगत कराया गया है कि उपरोक्त परिवर्तक असामान्य परिस्थितियों में क्षतिग्रस्त हुआ है तथा उपरोक्त परिवर्तक लगभग 4 वर्षों तक 10 एमवीए के फुल लोड पर

चला है। उनक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्त परिवर्तक गारंटी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त क्षतिग्रस्त हुआ है तथापि उनके द्वारा इस परिवर्तक को अपने खर्चे पर पुनः रिपेयर करने का प्रस्ताव दिया गया।

फर्म का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है क्योंकि गारंटी अवधि निकल जाने, असामान्य परिस्थितियों में क्षतिग्रस्त होन का परिवर्तक के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। जॉच समिति की रिपोर्ट में परिवर्तक स्पष्टतः छोटा व अण्डर रेटिंग का पाया गया है। फर्म द्वारा छोटे आकार का परिवर्तक आपूर्ति करने के कृत्य को उचित नही ठहराया जा सकता।

फर्म द्वारा छोटे आकार के परिवर्तक की आपूर्ति करने , संयुक्त जॉच में उपस्थित न रहने तथा उपरोक्त प्रेषित स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने से ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म द्वारा जान बूझकर इस प्रकार का गम्भीर कृत्य किया गया एवं अधोमानक स्तर की सामग्री की आपूर्ति की गई।

अतः एतदद्वारा निम्न आदेश जारी किये जाते हैः–

"मैसर्स राजस्थान ट्रान्सफॉर्मर्स एवं स्विच गियर्स , सी–174, रोड नं०–9(जे), वी.के.आई. एरिया, जयपुर–302013, राजस्थान द्वारा क्रयादेश सं0 5293/पविविनिलि–एमटी/186(एस)/07–08 दिनांक 19.07.2008 के सापेक्ष अधोमानक गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति करने के कारण , तत्काल प्रभाव से , पविविनिलि द्वारा फर्म से व्यापार निषिद्व किया जाता है।"

(अमित गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

Regd.

पत्रांकः 6304 /पविविनिलि–एमटी/186(एस)/07–08 **दिनांकः 13.07.2012**

प्रतिलिपि मै0 राजस्थान ट्रान्सफार्मर्स एवं स्विच गियर्स , सी–174, रोड नं०–9(जे), वी.के.आई. एरिया, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(अमित गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

पत्रांकः 6304 /पविविनिलि–एमटी/186(एस)/07–08 **दिनांकः 13.07.2012**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पषित है–

1. **अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0पाकालि0 , लखनऊ ।**
2. **प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0विद्युत उत्पादन निगम, लखनऊ।**
3. **प्रबन्ध निदेशक, मविविनिलि, लखनऊ/पूविविनिलि, वाराणसी/दविविनिलि, आगरा/केस्को, कानपुर।**
4. **निदेशक (वित्त), उ0प्र0पाकालि0 , लखनऊ।**
5. **सभी निदेशकगण, उ0प्र0पाकालि0 , लखनऊ।**
6. **सभी निदेशकगण, उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 , लखनऊ।**
7. **उपमहाप्रबन्धक (लेखा), पविविनिलि, मेरठ।**
8. **अधीक्षण अभियंता(भण्डार), पविविनिलि, मेरठ।**
9. **अधिशासी अभियंता, विद्युत भण्डार खण्ड, पविविनिलि, मेरठ।**

(अमित गुप्ता)
प्रबंध निदेशक